मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–अप्रैल, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 9 अप्रैल, 2002 (चैत्र 19, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री हुकुम सिंह कराड़ा, खनिज साधन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619–क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 35 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997–98 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, मुंशीलाल, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम रघुनाथपुर के जंगल में वनकर्मियों को लूटकर एक व्यक्ति का अपहरण होने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री जयसिंह मरावी, लवकेश सिंह, सदस्य, शहडोल जिले की करचुल जलाशय योजना में कार्यरत श्रमिकों को मजदूरी न दिये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री श्याम होलानी, सभापति, शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री भारत सिंह, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का चतुर्थ, पंचम, षष्ठम् एवं सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. वक्तव्य

श्री सुभाष कुमार सोजतिया, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, दिनांक 10 सितम्बर, 2001 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्रमांक–3355) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री महेन्द्र बौद्ध, गृह मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि "इन्दौर पुलिस आयुक्त विधेयक, 2002 (क्रमांक 1 सन् 2002) पर विचार किया जाय"–चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय 30 मि. (2) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 5 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 6 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (4) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 7 सन् 2002) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 8 अप्रैल, 2002

डॉ.ए.के.पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.